स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
केन्द्रीय पूल

क्रमांकः एफ/पूल/2026/ 115 दिनांकः 03.06.2026

निविदा सं. 01/2026

वर्ष 2026–27 के लिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर स्थित कार्यालयों के लिए आवश्यकतानुसार मुख्यालय से बाहर जाने व स्थानीय कार्य हेतु वाहन किराये पर लिये जाने हेतु यात्री वाहन (Taxi) व बस ए.सी. व नोन ए.सी. किराए पर लेने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं:–

निविदा क्रय करने की दिनांक व समय	निविदा जमा कराने की दिनांक व समय	उपापन समिति द्वारा निविदा खोलने की दिनांक व समय	निविदा फार्म क्रय करने की राशि	धरोहर राशि	अनुमानित राशि
दिनांक 03.06.2026 से दिनांक 10.06.2026 दोपहर 12.00 बजे तक	दिनांक 10.06.2026 दोपहर 1.00 बजे तक	दिनांक 10.06.2026 दोपहर 2.00 बजे	1000/–रू.	10,000/–रू.	5,00,000 रू.

NIB Code-SKA2627A0009

पूल अधिकारी

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयए बीकानेर
केन्द्रीय पूल
बोली प्रपत्र (तकनीकी) – अ

निविदा कय करने की अंतिम तिथि 03.06.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक व निविदा जमा कराने की तिथि 10.06.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक और निविदा खोलने कि तिथि 10.06.2026 दोपहर 2.00 बजे केन्द्रीय पूल, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में रखी गई है :–

क्र.सं.

1. बोली दाता का नाम व पूर्ण पता

2. बोली सूचना क्रमांक

3. बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय

4. जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक

5. फर्म का पैन कार्ड नम्बर

6. बोली शुल्क की राशि एवं सुरक्षा राशि विवरण

7. बोली शुल्क पर जी.एस.टी. राशि का विवरण

8. यात्री वाहन क्षमता

9. वाहन के दुर्धटनाग्रस्त होने पर हानि या किसी तृतीय पक्षकार का धोषणा पत्र 50/–रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर।

10. न्युनतम 05 वाहनों का पंजीकरण अथवा वाहन मालिक के साथ अनुबंध चालु वर्ष 2026–2027

11. वर्षिक टर्न ऑवर का विवरण

12. अनुभव

13. वाहन के पंजीयन की प्रतियां

मुझे इस बोली आमंत्रण सूचना की संलग्न समस्त शर्तें मंजूर है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय शील

नाम ——————————

पता ——————————

वितीय बोली प्रपत्र
लिफाफा **ब**

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयए बीकानेर

केन्द्रीय पूल

निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि 03.06.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक व निविदा जमा कराने की तिथि 10.06.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक और निविदा खोलने कि तिथि 10.06.2026 दोपहर 2.00 बजे केन्द्रीय पूल, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में रखी गई है :–

1. आवश्यकतानुसार बीकानेर से बाहर जाने हेतु निम्न वाहन किराए पर लिये जायेंगे:–

क्र.सं.	वाहन किस्म	दर प्रति किलोमीटर (जी.एस.टी. सहित)	
		ए.सी. वाहन	नोन ए.सी. वाहन
1.	स्वीफट डीजायर		
2.	ईनोवा		
3.	ईटिका		
4.	बुलेरो		
5.	पिकअप		
6.	बस (52 सीट)		
	बस (42 सीट)		
	बस (35 सीट)		
7.	मिनी बस (25 सीट)		

2. आवश्यकतानुसार बीकानेर में स्थानीय कार्य हेतु निम्न वाहन किराए पर लिये जायेंगे:–

क्र.सं.	वाहन किस्म	प्रतिदिन 100 कि.मी. तक चलने पर राशि (एकमुश्त) (जी.एस.टी. सहित)	प्रतिदिन 100 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. दर (जी.एस.टी. सहित)	प्रतिदिन 100 कि.मी. तक चलने पर राशि (एकमुश्त) (जी.एस.टी. सहित)	प्रतिदिन 100 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. दर (जी.एस.टी. सहित)
		ए.सी. वाहन	ए.सी. वाहन	नोन ए.सी. वाहन	नोन ए.सी. वाहन
1.	स्वीफट डीजायर				
2.	ईनोवा				
3.	ईटिका				
4.	बुलेरो				
5.	पिकअप				
6.	बस (52 सीट)				
	बस (42 सीट)				
	बस (35 सीट)				
7.	मिनी बस (25 सीट)				

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयए बीकानेर
केन्द्रीय पूल
खुली बोली आमंत्रण शर्ते

1. बोलीदाता दो सील बंद लिफाफों में बोली दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। जिसमें प्रथम लिफाफा **अ** तकनीकि बोली दस्तावेज स्पष्ट रूप से अंकित कर वितीय बोली प्रपत्र के अतिरिक्त समस्त दस्तावेज पूर्णतया भर कर हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा तथ द्वितीय लिफाफा **ब** में केवल वितीय बोली प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करेगा।, उक्त दोनों सील बंद लिफाफो को एक लिफाफे में डालकर प्रस्तुत करेना होगा ।

2. वाहन के रजिस्ट्रेशन/बीमा आदि के कागजात पूर्ण होने चाहिये और सभी वाहन टैक्सी परमीट होनी चाहिए ।

3. तकनीकि बिड उन्ही बोलीदाओं की खोली जावेगी, जिनके बोली दस्तावेजों के साथ बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि बैंकर चैक/डी.डी. संलग्न होगा ।

4. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरों की वैघता 90 दिवस ही होगी।

5. निविदा के साथ कम से कम 5 वाहनों का पंजीयन फर्म के नाम का संलगन होना चाहिए ओर अन्य वाहन जो फर्म के नाम से पंजीकृत नहीं हैं उनके साथ फर्म द्वारा किया गये एग्रीमेण्ट की प्रति दस्तावेज के साथ संलग्न करें।

6. वाहन चालक के पास लाईसेंस होना व साक्षर होना चाहिये वाहन चालक जो वाहन लेकर आ रहा है उसके लाईसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी उसके बाद उसको यात्रा प्रारम्भ हेतु भेजा जायेगा।

7. वाहन वर्ष 2023 से पुराना नहीं होना चाहिये।

8. विश्वविद्यालय द्वारा बीकानेर से बाहर जाने हेतु प्रयोग में लिये गये वाहन का भुगतान यात्रा के कुल दिनों को न्यूनतम कि.मी. प्रतिदिन की दूरी से गुणा करके या यात्रा के दौरान कुल तय की गई दूरी में से जो भी ज्यादा होगा के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।

अ) वाहन 300 कि.मी. से कम चलने पर न्युनतम 300 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा।

ब) दिन की गणना वाहन उपयोग लेने वाले अधिकारी के पास वाहन पहुँचने की दिनांक व यात्रा पूर्ण कर अधिकारी द्वारा वाहन को छोड़ने की दिनांक से की जायेगी।

उदहारणार्थः—

(क) यदि वाहन संबन्धित अधिकारी के पास दिनांक 15.04.2026 को पहुँचता है तथा अधिकारी यात्रा पूर्ण कर दिनांक 16.04.2026 को वाहन छोड़ता है तो दो दिन गिने जायेंगे।

उपरोक्त (क) में यदि वाहन 605 कि.मी. उपयोग में लिया जाता है तो उसे 605 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा चाहे दिनांक 15.04.2026 को वाहन 405 कि.मी. उपयोग किया गया तथा दिनांक 16.04.2026 को 200 कि.मी. का उपयोग किया गया हो।

उपरोक्त (क) में यदि वाहन 575 कि.मी. उपयोग लिया हाता है उसे 600 कि.मी का भुगतान किया जायेगा चाहे दिनांक 15.04.2026 को वाहन 405 कि.मी. उपयोग लिया गया तथा दिनांक़ 16.04.2026 को 170 कि.मी. का उपयोग किया गया हो।

9. कि.मी. की गणना यात्रा पर रवाना होने के स्थान यथा अधिकारी के निवास/कार्यालय से मानी जावेगी। जिसका इन्द्राज लोग बुक में करके वह अधिकारी के हस्ताक्षर कर बिल के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करनी होगी।

10. वाहन की लोग बुक फर्म द्वारा वाहन चालक को उपलब्ध करवानी होगी। लोग बुक का प्रारूप विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

11. वाहन यात्रा के दौरान बीच रास्ते में खराब होने की अवस्था में फर्म द्वारा दुसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी और दुसरा वाहन का किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

12. भुगतान हेतु PAN No. बिल की दो प्रतियाँ मय वाहन का पंजीयन, बीमा व लोग बुक की प्रति लगाकर प्रस्तुत करना होगा एसा न करने पर बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क का पुनभरण विश्वविद्यालय के द्वारा किया जावेगा । इस हेतु टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क की रसीद बिल के साथ संलग्न करनी पडेगी। यात्रा पर जाने वाले अधिकारी को टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

14. देय स्टेट टैक्स (राजस्थान से बाहर जाने पर) का पुनर्भरण विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित रसीद प्रस्तुत करने पर देय होगा। इसके अलावा 2 प्रतिशत TDX की कटौती विश्वविद्यालय के द्वारा जावेगी।

15. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण प्रत्र बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।

16. उक्त बोली एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी, जिसे आर.टी.पी.पी. नियमों के प्रावधानों के अनुसार बढाया जा सकता हैं।

17. परिवहन के समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी तीसरे पक्ष को हानि पहुंचाने पर समस्त जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। उक्त घोषणा 50/—रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध के साथ संलग्न करना होगा।

18. तकनीकि बिड उन्ही बोलीदाओं की खोली जावेगी, जिनके बोली दस्तावेजों के साथ बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि बैंकर चैक/डी.डी. संलग्न होगा ।

19. निविदादाता को धरोहर राशि 12000/– रू मय डी.डी. या बैंकर चैक द्वारा जमा करना होगा **जो कि पूल अधिकारी, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के नाम से होगी।**

20. निविदादाता को पूर्ण कार्यकाल के लिये जो दरें स्वीकृत की गई है उसी के अनुसार भुगतान किया जायेगा ईधंन के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी।

21. निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा व टेण्डर फार्म में किसी भी प्रकार की कटिंग व अधूरा मान्य नहीं होगी।

22. बीकानेर में स्थानीय कार्य हेतु वाहन लेने पर 100 कि.मी. से अधिक चलने पर 100 कि.मी. की एक मुश्त राशि के अतिरिक्त प्रति कि.मी. की राशि देय होगी।

23. प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार है कि निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है और निविदादाता द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे पाबंद करने हेतु भी अधिकृत है।

24. उपरोक्त दरें 500/–रू. के NJS पर फर्म के अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ Agrement करने पर ही मान्य होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील